सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-2159/JH/68/2025-RU-IV   दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला - दुमका
नया समाहरणालय भवन,
दुमका - 814101, झारखंड,
ई-मेल: sp-dumka@jhpolice.gov.in

विषय: **जुलाई, 2022 से अब तक की वार्षिक वेतन वृद्धि की बकाया अंतर्राशि के भुगतान के संबंध में – श्री चन्द्रदेव किस्कू, जनसेवक, प्रखंड कार्यालय, जरमुंडी, जिला दुमका (झारखंड़) का दिनांक 03.12.2024 का पत्र/अभ्यावेदन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 15.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:

श्री चंद्रदेव किस्कू,
जन सेवक,
प्रखण्ड कार्यालय, जरमुंडी,
जिला-दुमका-814141,
Mobile No: 9102719541

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-2159/JH/68/2025-RU-IV

अभ्यावेदक श्री चन्द्रदेव किस्कू, जनसेवक, प्रखंड कार्यालय, जरमुंडी, जिला-दुमका (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन, जुलाई 2022 से अब तक की वार्षिक वेतन वृद्धि की बकाया अंतर्राशि के भुगतान के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदक श्री चन्द्रदेव किस्कू, जनसेवक, प्रखंड कार्यालय, जरमुंडी, जिला-दुमका (झारखण्ड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि जुलाई, 2022 से अब तक की वार्षिक वेतन वृद्धि की बकाया अंतर्राशि का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है। अभ्यावेदक ने आरोप लगाया है कि उन्हें देय राशि का भुगतान जान-बूझकर श्री कुंदन भगत, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जरमुंडी (दुमका) द्वारा लंबित रखा गया है। इस संबंध में अभ्यावेदक ने आयोग से आवश्यक हस्तक्षेप एवं कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 28.04.2025 को जिलाधिकारी, दुमका (झारखण्ड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

3. आयोग के उक्त नोटिस के संदर्भ में संबंधित प्राधिकारी से कोई प्रतिवेदन/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

4. सुनवाई के दौरान उप विकास आयुक्त, दुमका तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दुमका आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान यह अवगत कराया गया कि शिकायत में उल्लिखित राशि का भुगतान अभ्यावेदक को किया जा चुका है। अभ्यावेदक ने उक्त भुगतान के बावजूद यह प्रस्तुत किया कि उन्हें एमएसीपी (MACP) का लाभ प्रदान नहीं किया गया है तथा पेंशन एवं अन्य सेवा संबंधी लाभों के संबंध में उनकी शिकायतें अभी भी लंबित हैं।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

> सुनवाई के दौरान यह अवगत कराया गया कि मूल शिकायत से संबंधित देय राशि का भुगतान अभ्यावेदक को किया जा चुका है। अतः मूल शिकायत का निस्तारण मानते हुए प्रकरण आयोग में बंद किया जाता है। यदि अभ्यावेदक को एमएसीपी (MACP), पेंशन अथवा किसी अन्य सेवा संबंधी लाभ के संबंध में कोई पृथक एवं वर्तमान शिकायत है, तो वे संबंधित अभिलेखों सहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अथवा आयोग में पृथक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

आशा लकड़ा
10/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in